

उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्रमांक / स्वरो / 5 / (3ब) / 2015 / 4355-4407
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10.04.2015

महाप्रबंधक (समस्त)
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र
मध्यप्रदेश

परिपत्र क्रमांक 1 / 2015

विषय:-मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्रियान्वयन।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष 2014-15 में लक्ष्य की प्राप्ति में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसके लिए आप एवं संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधक प्रशंसा के पात्र हैं एवं अपेक्षा है कि वर्ष 2015-16 में भी आप तत्पतापूर्वक कार्यवाही कर निर्धारित समय सीमा में कार्य संपादित कर लक्ष्य प्राप्त करेंगे।

विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नानुसार क्रियान्वयन किया जायेगा :

1. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2014-2015 के स्वीकृत प्रकरणों में वितरण के लिये 31.03.2015 के पश्चात कोई अतिरिक्त समय सीमा नहीं दी जायेगी। वर्ष 2014-2015 में 31.3.2015 तक स्वीकृत किन्तु अवितरित प्रकरणों को वर्ष 2015-16 के लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृत मानते हुये शीघ्र वितरण कराये।
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत 31.03.2015 तक स्वीकृत प्रकरणों के विरुद्ध वितरण के संबंध में संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई द्वारा 30 अप्रैल 2015 तक वितरण के मार्जिनमनी अनुदान की राशि जारी करने के संबंध में छूट दी गई है जिसके निर्देश की प्रति संलग्न है। 30.4.2015 तक संशोधित लक्ष्य के अनुसार वितरण सुनिश्चित करें।
3. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण कर जिलेवार आवंटन संलग्न है।
4. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत वर्ष 2014-2015 में 31.03.2015 तक वितरित कुछ ऐसे प्रकरण जिसमें पूर्ण वितरण नहीं हो सका ऐसे प्रकरणों में शेष किरतों को 31.05.2015 तक वितरित कराना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों के संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आहूत कर सभी बैंकों को अवगत कराये तथा जिलों के क्रेडिट प्लान में इन लक्ष्यों का वितरण शाखावार कराये। इसका पालन प्रतिवेदन 30.4.2015 तक कलेक्टर के हस्ताक्षर से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

उद्योग आयुक्त, 10/4/2015
मध्यप्रदेश


- 1/ प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार, मंत्रालय, भोपाल।
- 2/ आयुक्त, संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश, विन्ध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3/ संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, गौतम नगर, भोपाल।
- 4/ संभागायुक्त, (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 5/ कलेक्टर, (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 6/ संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7/ स्टेट हेड (समस्त) बैंक, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8/ अपर/संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9/ मुख्य प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक (समस्त लीड बैंक) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

VK Sonaka
संयुक्त संचालक उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त, म.प्र.

उद्योग विभाग की स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य वर्ष 2015-16

क्र	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना		मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना		प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)	वित्तीय लक्ष्य मार्जिन मनी (लाख में)
भोपाल संभाग						
1	भोपाल	45	1125.00	750	3750.00	170.00
2	सीहोर	20	500.00	400	2000.00	100.00
3	रायसेन	10	250.00	250	1250.00	50.00
4	राजगढ़	15	375.00	400	2000.00	100.00
5	मंडीदीप	5	125.00	150	750.00	30.00
6	विदिशा	20	500.00	350	1750.00	110.00
	योग	115	2875.00	2300	11500.00	560.00
नर्मदापुरम संभाग						
7	होशंगाबाद	30	750.00	500	2500.00	110.00
8	हरदा	10	250.00	200	1000.00	50.00
9	बैतूल	20	500.00	400	2000.00	100.00
	योग	60	1500.00	1100	5500.00	260.00
ग्वालियर संभाग						
10	ग्वालियर	35	875.00	700	3500.00	166.00
11	दतिया	10	250.00	200	1000.00	60.00
12	शिवपुरी	30	750.00	600	3000.00	120.00
13	गुना	15	375.00	350	1750.00	83.00
14	अशोकनगर	10	250.00	250	1250.00	60.00
	योग	100	2500.00	2100	10500.00	489.00
चम्बल संभाग						
15	भिण्ड	15	375.00	300	1500.00	80.00
16	मालनपुर	5	125.00	100	500.00	40.00
17	मुरैना	15	375.00	450	2250.00	100.00
18	श्योपुर	5	125.00	150	750.00	50.00
	योग	40	1000.00	1000	5000.00	270.00
इन्दौर संभाग						
19	इन्दौर	60	1500.00	1000	5000.00	250.00
20	घार	25	625.00	450	2250.00	100.00
21	खरगोन	25	625.00	500	2500.00	116.00
22	खण्डवा	20	500.00	450	2250.00	100.00
23	बडवानी	20	500.00	350	1750.00	80.00
24	झाबुआ	10	250.00	300	1500.00	60.00
25	अलीराजपुर	10	250.00	250	1250.00	50.00
26	पीथमपुर	10	250.00	150	750.00	30.00
27	बुरहानपुर	10	250.00	200	1000.00	50.00
	योग	190	4750.00	3650	18250.00	836.00

उज्जैन संभाग						
28	उज्जैन	30	750.00	600	3000.00	166.00
29	मन्दसौर	15	375.00	400	2000.00	91.00
30	शाजापुर	15	375.00	250	1250.00	80.00
31	आगर	5	125.00	150	750.00	25.00
32	नीघम	10	250.00	250	1250.00	60.00
33	देवास	25	625.00	500	2500.00	108.00
34	रतलाम	20	500.00	450	2250.00	100.00
	योग	120	3000.00	2600	13000.00	630.00
जबलपुर संभाग						
35	जबलपुर	40	1000.00	800	4000.00	170.00
36	नरसिंहपुर	15	375.00	250	1250.00	110.00
37	छिन्दवाड़ा	30	750.00	650	3250.00	150.00
38	सिवनी	20	500.00	350	1750.00	100.00
39	मण्डला	10	250.00	250	1250.00	70.00
40	बालाघाट	25	625.00	450	2250.00	100.00
41	कटनी	15	375.00	350	1750.00	90.00
42	डिण्डोरी	5	125.00	150	750.00	50.00
	योग	160	4000.00	3250	16250.00	840.00
रीवा संभाग						
43	रीवा	35	875.00	550	2750.00	150.00
44	सीधी	10	250.00	250	1250.00	80.00
45	सिंगरौली	20	500.00	300	1500.00	70.00
46	सतना	35	875.00	500	2500.00	140.00
	योग	100	2500.00	1600	8000.00	440.00
शहडोल संभाग						
47	शहडोल	15	375.00	250	1250.00	85.00
48	उमरिया	5	125.00	150	750.00	45.00
49	अनुपपुर	5	125.00	150	750.00	50.00
	योग	25	625.00	550	2750.00	180.00
सागर संभाग						
50	सागर	25	625.00	600	3000.00	150.00
51	दमोह	15	375.00	300	1500.00	85.00
52	छतरपुर	25	625.00	400	2000.00	100.00
53	टीकमगढ़	15	375.00	300	1500.00	90.00
54	पन्ना	10	250.00	250	1250.00	70.00
	योग	90	2250.00	1850	9250.00	495.00
	महायोग	1000	25000.00	20000	100000.00	5000.00


 सहायक सचिव
 संविधान सभा

VERY URGENT

FROM: DIRECTOR (PMEGP) KVIC, MUMBAI

TO: ALL STATE / DIVISIONAL DIRECTORS, KVIC.

COPY TO: 1. ALL ZONAL DY.CEOs FOR KIND INFORMATION AND
MONIOTORING
2. Project coordinator - RSETIs - Bangalore

SUB: EXTENSION OF TIME FOR SETTLEMENT/ DISBURSEMENT OF MM SUBSIDY
CLAIMS IN RESPECT OF PROJECTS SACNTIONED UNDER PMEGP AND COMPLETION
OF EDP TRAINING FOR THE YEAR 2014-15 - REG.

REF: THIS OFFICE REDIOGRAM DT. 24.03.2015 AND DT. 25.03.2015

KINDLY REFER THE ABOVE REFERENCE REDIOGRAMS CITED ON THE SUBJECT.

2. IN THIS REGARD, IT IS TO INFORM THAT THE MINISTRY OF MSME, GOVT. OF INDIA HAS ACCORDED APPROVAL FOR ALLOWING EXTENSION OF ONE MONTH I.E. UPTO 30TH April 2015 FOR DISBURSEMENT OF MM SUBSIDY IN RESPECT OF PROJECTS SANCTIONED UNDER PMEGP UPTO 31.03.2015 **AFTER COMPLETING EDP TRAINING.**


3. FURTHER, IT IS TO INFORM THAT THOSE PMEGP PROJECTS SANCTIONED UPTO 31ST March 2015, THE SPECIAL DRIVE AND MORE BATCHES WITH THE MAXIMUM NUMBER OF EDP TRAINING BATCH MAY ARRANGE WITH THE HELP OF RSETI/RUDSETIs AND ENSURE TO COMPLETE EDP TRAINING FOR ELIGIBALE PMEGP BENEFICIARIES UNDER THE JURSDICTION OF STATE/DIVISIONAL OFFICES INCLUDING KVIB AND DICs **WITHIN FORTNIGHT.**

4. IT MAY ALSO KINDLY BE NOTED THAT **NO FURTHER EXTENSION WILL BE GIVEN** AND ANY AMOUNT LYING UNDISBURSED WITH NODAL BANK BRANCHES WILL HAVE TO BE ADJUSTED ACAINST THE FUNDS TO BE RELEASED FOR THE YEAR 2015-16.

5. THIS MAY BE BROUGHT TO THE NOTICE OF ALL CONCERNED INCLUDING, NODAL AND FINANCING BANK BRANCHES IMMEDIATELY AND ENSURE TO LIQUIDATE THE UNSPENT BALANCE LYING WITH NODAL BANK BRANCHES BY 30TH APRIL 2015 AND FURNISH THE UTILISATION CERTIFICATE IN THE PRESCRIBED 19-A FORMAT.

THIS IS ISSUED WITH THE APPROVAL OF COMPETENT AUTHORITY

THIS MAY BE TRATED AS MOST URGENT.


(Y. K. Borumatikar)
Director, PMEGP

NO. PMEGP/REVIEW/2014-15

Date: 07.04.2015

*10/5/15
email to
all amptd/
collectors*


V. L. KANTHA RAO
Industries Commissioner
Madhya Pradesh

